न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

बनाम – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 24/2015

प्रार्थीगण

1. भोपालसिंह पुत्र जवारसिंहजी जाति राजपुरोहित
2. हरीसिंह पुत्र जवारसिंहजी जाति राजपुरोहित
3. जबरसिंह पुत्र जवारसिंहजी जाति राजपुरोहित
4. रामेश्वरसिंह पुत्र नैनारामजी जाति राजपुरोहित
5. बाबूसिंह पुत्र नैनारामजी जाति राजपुरोहित
6. भैरूसिंह पुत्र नैनारामजी जाति राजपुरोहित
7. श्रीमती सरस्वतीदेवी पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित
8. हितेशसिंह गोदपुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित

निवासियान बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नेमीचन्द पुत्र मूलचन्द जाति ओसवाल
2. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द जाति ओसवाल
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति ओसवाल
4. नरेशकुमार पुत्र मूलचन्द जाति ओसवाल
5. मनोहरलाल पुत्र मूलचन्द जाति ओसवाल
6. फतेहचन्द पुत्र मीठालाल जाति ओसवाल

सभी निवासियान बालोतरा जिला बाड़मेर

7. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा जिला बाड़मेर
9. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ.

आदेश

दिनांक : 19.02.2020

उपस्थित 1. अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. संतोष भंसाली अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 834 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा किस्म चाही अवबल अवस्थित रही है । वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 834 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा पुराने खसरा संख्या 440 रकबा 05 बीघा का समरूपी (साबिका) रकबा रहा है । उक्त भूमि में से 07 विस्वा भूमि विप्रार्थी सं. 7 व 8 के खाते में प्रस्तावित पूल व सड़क के लिए मूल रकबे में से कम कर खसरा संख्या 834/1 वर्तमान खसरा संख्या 1457/834 रकबा 07 विस्वा दर्ज किया गया । किन्तु उक्त प्रस्तावित की गई भूमि का न तो मौके पर कब्जा प्रार्थीगण से प्राप्त किया और न कभी उक्त भूमि का कब्जा विप्रार्थी सं. 7 व 8 को सुपुर्द ही किया और न ऐसा करने के सम्बन्ध में कोई नोटिस या सूचना ही प्रार्थीगण को परिदत्त ही की गई । वर्तमान में विप्रार्थी सं. 7 व 8 के द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई पूल या सड़क निर्माण करने की योजना नहीं है। क्योंकि उक्त प्रस्तावित पूल के विकल्प में लूनी नदी पर वर्तमान में चल रही हाईवे रोड़ पर पूल का निर्माण करवाया गया है व मेगाहाईवे की बाईपास सड़क के लिये भी मौके पर वर्षो पहले पूल बनाया जा चुका है, इस प्रकार प्रस्तावित योजना आवश्यकता नहीं रहने से सफल नहीं हो सकी। विप्रार्थी सं. 7 व 8 के द्वारा इस भूमि के आवाप्ति के पश्चात न तो कोई मुआवजा ही जमा करवाया गया और न ही मुआवजा प्रार्थीगण को अदा किया । विधि अनुसार बिना मुआवजा की राशि अदा किये आवाप्ति की कार्यवाही अपने आप ही शून्य हो जाती है, इसलिए अब उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 7 व 8 अपने खाते में दर्ज रखने के अधिकारी नहीं है । अलावा इसके भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न परिपत्रों एवं विपत्रों द्वारा भी इस भूमि को आवाप्ति से मुक्त करने हेतु समय समय पर उच्च अधिकारियों को लिखा व मुआवजा की राशि के भुगतान का कोई औचित्य नहीं बताते हुए भुगतान न करने का भी लिखा ।

.....2.

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

इसके अलावा वर्तमान में उक्त भूमि में पूल निर्माण करने की कोई योजना नहीं होना बताया । जिससे भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 834/1 नये वर्तमान खसरा संख्या 1457/834 की भूमि विप्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क एवं पूल बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रही है । अलावा इसके नक्शा किश्तवार में उक्त भूमि को मूल खसरे में से आज दिन तक नक्शे में तरमीम तक नहीं किया गया है । यानि उक्त सम्पूर्ण भूमि 03 बीघा 07 विस्वा पर आज रोज भी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही स्पष्ट रूप से होना साबित है । अलावा इसके उक्त अवाप्त सुदा की अवाप्ति की कार्यवाही को माननीय जिला न्यायाधीश बालोतरा के द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 09/1997 अयोध्या प्रसाद बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग में तारीख 22.12.2004 को निर्णय पारित कर निरस्त कर दिया। इस प्रकार उक्त अवाप्ति की कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं रहा और न है। विप्रार्थी सं. 7 व 8 को वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके उपरांत भी विप्रार्थी विभाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टियों की आड़ में प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के रकबे से बेदखल करने हेतु उतारू है, जिसका कोई अधिकार विप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को नहीं है । विप्रार्थीगण को ऐसा न करने व पूर्व में कथित आवाप्तसुदा भूमि का रकबा 07 विस्वा जिसके नये खसरा संख्या वर्तमान में 1457/834 मौजा बालोतरा को प्रार्थीगण के खाते में पुनः जोड़ने हेतु लिखित स्टेच्यूटरी नोटिस भी दिया, किन्तु बावजूद नोटिस के विप्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुतोष अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के अधिकार संशय में पड़ गये, इस सम्बन्ध में वाद पत्र पेश किया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अवैध व अनुचित तरीके से अपने खातेदारी के पुराने खसरे की भूमि के रकबे से अधिक की खातेदारी गलत तथ्य बता कर एवं सही तथ्यों को छिपा कर प्राप्त की, और उक्त गलत प्रविष्टियों की आड़ में मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 834 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा (नये खसरा संख्या 1457/834 सहित) में एवं उक्त भूमि की सुरक्षार्थ बनी कदीमी कुदरती माठ पर खड़े पुराने बबूल इत्यादि के पेड़ों को जे.सी.बी. मशीन लगाकर दिनांक 28.03.2015, 29.03.2015, 30.03.2015 को नष्ट करने का उपक्रम किया एवं कुछ बड़े पेड़ काट कर चुरा कर ले गये, जिससे प्रार्थीगण को नुकशान हुआ । प्रार्थीगण ने विप्रार्थी सं. 1 ता 6 को प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त मालिकाना की उक्त भूमि में अवैध व अनुचित तरीके से प्रवेश करने का कारण पूछा तो विप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और प्रार्थीगण को धमकियां दी कि, किसी भी सूरत में हम प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी की भूमि पर कब्जा किये बिना नहीं रूकेंगे । जबकि विप्रार्थी सं. 1 ता 6 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 कानून हाथ में लेकर ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण अपने विधिक हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी । प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 834 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा पुराने खसरा संख्या 440 रकबा 05 बीघा का भाग रही है, उक्त भूमि पर वक्त राज मारवाड़ के समय से प्रार्थीगण एवं उनके हक पूर्वाधिकारियों का बिना किसी रोक–टोक के कब्जा काश्त कायम रहा एवं आज रोज भी कायम है, मौके पर खेत की सीमा चिन्हों पर कुदरती माठ के अलामात मौजूद है । किन्तु राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने गलत प्रविष्टियां, गलत एवं अशुद्ध तथ्य बता कर सही तथ्यों का छिपाव कर अपने पुराने खातेदारी के विधिक हिस्से से अधिक हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने एवं मौके पर ऐसी कोई भूमि उनके खातेदारी में दर्ज खसरे में अवस्थित नहीं होने से रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टियों की आड़ में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 834 के रकबे पर अवैध व अनुचित तरीके से दखल/हस्तक्षेप करना चाहते है। इस सम्बन्ध में विप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने असफल प्रयास भी दिनांक 28.03.2015, 29.03.2015, 30.03.2015 को किये, जिसके अलामात मौके पर विद्यमान है। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के बाद जरिये नोटिस विप्रार्थीगण को तलब किया, विप्रार्थी सं. 1, 4, 5, 6 ने जवाब पेश कर कथन किया कि, हम विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की भूमि में खड़े पेड़ अथवा माठ को खुर्द–बुर्द नहीं किया, न ही खसरा सं. 834 की भूमि पर कोई दखलदाजी की, विप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर जवाब पेश कर कथन किया कि, भूमि खसरा सं. 834 रकबा 03 बीघा 04 विस्वा आवाप्ति से मुक्त की जा चुकी हैं, उक्त भूमि आवाप्ति से मुक्त होने के बाद पुनः पूर्ववर्ती खाते में नाम जोड़ने के कार्य राजस्व विभाग से सम्बन्धित हैं ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया ।

पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी, माननीय जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2003, 22.12.2004 का अवलोकन अध्ययन किया ।

माननीय जिला न्यायालय बालोतरा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन व अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया कि, दिनांक 15.07.1995 को भूमि आवाप्ति का एवार्ड पारित किया गया था, को निरस्त किया गया, तथा इसी प्रकार दिनांक 22.12.2004 को भी रेफरेंस स्वीकार करते हुए भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आवाप्ति एवार्ड को निरस्त किया जा चुका हैं, विप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से सहायक अभियन्ता ने जो जवाब क्रमांक 194 दिनांक 16.07.2015 पेश किया हैं, में भी उक्त भूमि अवाप्ति से मुक्त होने का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया हैं ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

.....3.

Scanned by CamScanner

वादीगण ने न्यायालय में मूल खसरा सं. 834 कुल रकबा 03 बीघा 07 विस्वा का खातेदार घोषित होने के अनुतोष का घोषणात्मक वाद पेश किया हैं, साथ ही यह भी अनुतोष चाहा हैं, कि मौके पर लगातार 03.07 बीघा पर कब्जा भी रहा हैं । पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से ज्ञात हुआ कि पूर्व में 03.07 बीघा के खातेदारी प्रार्थीगण रहे हैं, और जिस उपयोग हेतु 07 विस्वा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में से कम की गई ऐसे उपयोग के लिए की गई आवाप्ति की कार्यवाही को भी निरस्त किया जा चुका है, 07 विस्वा भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण ने प्राप्त किया हो, ऐसा कोई कथन या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ हैं । क्या प्रार्थीगण 07 विस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं, या नहीं उक्त तथ्य मूल वाद में तय किया जायेगा, किन्तु इस स्तर पर वाद के विचाराधीन रहते यदि मूल खसरा सं. 834 वर्तमान खसरा सं. 834, 1457/834 के मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाता हैं, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, इस प्रकार इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सभी आधार आरजी तौर पर प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते हैं ।

बाद विवेचन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि भूमि खसरा सं. 834 कुल रकबा 03.07 बीघा मौजा बालोतरा जिसमें नये खसरा सं. 1457/834 भी सम्मिलित हैं, के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय निस्तारण तक कायम रखें । यह भी स्पष्ट किया जाता हैं, कि विप्रार्थी सं. 01 ता 06 खसरा सं. 810, 811 मौजा बालोतरा का सीमाज्ञान बिना मौके की स्थिति में परिवर्तन किये नाप करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे । पत्रावली फैंसल शुमार हो ।

आदेश आज तारीख 19.02.2020 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(गोविन्द कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.), बालोतरा

Scanned by CamScanner